<u>प्रकरण संख्या 217 / 2006 अनवान</u>
<u>आईदान आदि बनाम गोरधन आदि</u>
<u>निर्णय दिनांक 30.10.2024</u>

सुलोचना पुत्री श्री सुरजाराम पत्नी श्री साहबराम जाति जाट साकिन 32 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।

रामप्यारी पुत्री श्री ठाकरसी पत्नी श्री बस्तीराम जाति जाट साकिन 32 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

आसी पुत्री श्री ठाकरसी पत्नी श्री मंगलूराम जाति जाट साकिन 12 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।

12. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

13. हरीराम पुत्र श्री गोरधन जाति जाट साकिन 86 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर राज.।

—:प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—89—92ए—188 राज0 काश्त0 अधि0 1955</u>

तारीख रजू 20.11.2006

उपस्थितअधिवक्तागण

1. श्री कृष्णलाल लदोईया अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री कर्ण जोशी अधिक्क्ता प्रतिवादीगण।

दिनांक : 30.10.2024

—: <u>निर्णय</u> :—

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी की वंशावली निम्न प्रकार से है कि ठाकरसी मृतक के वारिसान जीवणी पत्नी मृतक, गोरधन, सुरजाराम, रामप्यारी, आसी, आईदान पिसरान ठाकरसी और सुरजाराम मृतक के रामप्यारी पत्नी, कृष्ण, औमप्रकाश, रामलाल, रणजीत, इन्द्राज, सतपाल, सुलोचना पि. सुरजाराम है। वादी के पिता ठाकरसी वल्द खींया के नाम चक चक 39 एनपी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 38 (पुराना), 39(नया) के पं.नं. 214 / 321 के खाता संख्या 25 / 26 के कि.नं. 1 ता 5 सालम—सालम, 6 / 1 की 0.164 है. कुल 1.429 है नहरी. तथा मु.नं. 32 (नया), 31(पुराना) के कि.नं. 5 में 0.075 है. नहरी भूमि खातेदारी थी। वादी के पिता श्री ठाकरसी के देहान्त के बाद उक्त भूमि मृतक स्वर्गीय श्री ठाकरसी के जायज वारिसान प्रतिवादीगण सं. 1 गोरधन व प्रतिवादी सं. 2 ता 9 के पति व पिता सुरजाराम व प्रतिवादी सं. 10—11 तथा वादी के नाम व वादी की माता मु. जीवणी के नाम विरास्तन दर्ज हुई। वादी के पिता श्री ठाकरसी ने अपने जीवनकाल में ही प्रतिवादी सं. 1 गोरर्धन को चक 86 जीबी तहसील अनूपगढ़ में अलग से भूमि खरीद कर दी तव से लेकर प्रतिवादी सं. 1 चक 86 जीबी में ही रहने लग गया तथा प्रतिवादीगण सं. 2 ता 9 के पति व पिता सुरजाराम को अलग से चक गोमावाली में भूमि खरीद कर दी जो गोमावाली में निवास करते है तथा चक 39 एनपी तहसील रायसिंहनगर की भूमि वादी को दे दी जिस पर वादी के पिता श्री ठाकरसी के जीवनकाल में वादी के पिता व वादी का कब्जा काश्त था तथा वादी के पिता श्री ठाकरसी की मृत्यु पश्चात उक्त भूमि पर वादी काबिज होकर काश्त कर रहा है। चक 39 एनपी तहसील रायसिंहनगर का पुराना मु.नं. 31 नया 32 के पं.नं. 218 / 320 के कि.नं. 5 में 0.075 है. भूमि जो सहायक भू. प्रबंधक अधिकारी व भू. प्रबंधक विभाग बीकानेर कैम्प रायसिंहनगर द्वारा संयुकत खातेदार रामचन्द्र बगैरा के नाम सहबन से उक्त भूमि उनक`नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर दी गई। जिस संबंध में वादी द्वारा एक वाद पत्र अनवानी आईदान बनाम रामचन्द्र बगैरा प्रकरण सं. 59 / 2000 माननीय न्यायालय में पेश किया गया जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.01.2004 को उक्त वाद का निर्णय किया जाकर उक्त विवादित 0.075 है.रकबा में से 0.025 है. रकबा वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ता 9 के पति व पिता व प्रतिवादीगण सं. 10—11 के [illegible] रिकार्ड में अमलदरामद किए जाने हेतु डिक्री पारित की गई। वा[illegible] श्री ठाकरसी द्वारा वादी के अलावाा अपने दोनों पुत्रों को अलग अलग भू[illegible] दी तथा चक 39 एनपी की भूमि वादी को घरू बंटवारे में दी लेकिन चूंकि [illegible] भूमि वादी के पिता ठाकरसी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी [illegible] उनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम [illegible] जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ता 9 के पति व पिता सुरजाराम [illegible] प्रतिवादी सं. 10—11

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 15:09:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

को कई बार यह कहा कि वे चलकर उक्त विवादित भूमि को वादी के नाम करवावें लेकिन प्रतिवादीगण हर बार यही कहते रहे वे आपस में भाई बहिन है जब कभी समय मिलेगा भूमि वादी के नाम करवा देंगे। जिस पर वादी विश्वास करता रहा क्योंकि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के है जिस कारण राजस्व रिकार्ड में भूमि का अमलदरामद वादी के नाम से नहीं हुआ। वादी विवादित भूमि पर वादी के पिता की मृत्यु से काबिज है इस कारण अपने खातेदारी हकूक की घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी है।

विवादित भूमि का विधिक बंटवारा करवाने की व खाता अलग-अलग करवा राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करवाने की अपेक्षित कार्यवाही में सहयोग देवे तो वे प्रथमतः टालमटोल के पश्चात अंततः दिनांक 13.11.2006 को बमुकाम प्रतिवादी सं. 1 ता 11 के पास जाकर निवेदन किया। यह कहकर स्पष्ट इन्कार हो गये कि उन्हे जरूरत नहीं है आपकों जरूरत है तो करवा लो यही तारीख पैदा होने विनाये दावा विनाये मुखास्मत है। वादी के समक्ष वांछित अनुतोष प्राप्ति के लिये वाद के अलावा अन्य कोई चारा शेष नहीं रहा है। प्रतिवादी सं. 11 भू-धारक होने से आवश्यक पक्षकार मुकदमा होने से पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायालय दो रूपये की कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है। अतः वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण दो प्रतियों में पेश की निवेदन है कि वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से फैसला एवं डिक्री फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण सं. 1 ता 11 के विरूद्व इस अशयत की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि ये मृतक ठाकरसी की चक 39 एनपी के मु.नं. 39 मे 1.429 है. व मु.नं. 32 मे 0. 025 है. में अपना हिस्सा छोड़कर बदले में चक 86 जी.बी. व गोमावाली में भूमि प्राप्त कर चुके है इसलिए वे इस भूमि में अपने दर्ज हिस्सा में स्वयं अथवा सहयोगी के मध्यम से वादी के कब्जा काश्त की उपारोक्त भूमि मं दखलन्दाजी करने तथा सिंचाई सुविधा में दखलन्दाजी करने तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में तबदीली करने भूमि रहन बैय करने से बाज वमून रहे। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 11 के विरूद्व आज्ञापक व्यादेश जारी किया जावे कि वे चक 39 एनपी तहसील रायसिंहनगर में अपने हिस्सा की जगह अन्यत्र 86 जीबी व गोमावाली में भूमि प्राप्त कर चुके है तो चक 39 एनपी मे उनके हिस्सा की भूमि का इन्तकाल वादी के नाम दर्ज करवावे तथा उसमें होने वाले खर्चा का भार प्रतिवादी गण के जुम्मे रखा जावे । वादी विकल्प में अनुतोष करता है कि विवादित भूमि पर वादी गत 30 सालों से निर्विवाद काबिज है इसलिए उसका एडर्वस पोजिशन के तहत गत 12 साल से अधिक का कब्जा होने के कारण उसे खातेदार घोषित किया जाकर उसी अनुसार अमलदरामद करने का आदेश प्रविवादी सं. 12 के नाम पारिज किया जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की तरफ से करण जोशी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 2 ता 11 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इसके उपरान्त प्रति सं. 11 की तरफ से सुशील गोदारा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 1 की तरफ से श्री करण जोशी अधिवक्ता ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि चक 86 जीबी तहसील अनूपगढ़ की कृषि भूमि मुझ प्रार्थी द्वारा स्वयं मेहनत मजदूरी करके उससें कमाये गये धन से खरीद की हुई है मेरे पिता जी द्वारा कोई भूमि खरीद कर मेरे को नहीं दी गई है न ही सुरजाराम को गोमावाली में कोई भूमि खरीद करके दी गई थी और न ही चक 39 एनपी की भूमि मेरे पिता और हमारे द्वारा आईदान को दी गई है वाद गलत तथ्यों पर पेश किया गया है न ही हमारा घरू बटवारा हुआ है। वि[illegible] चक 39 एनपी के मु.नं. 39 मे 1.429 है. व मु.नं. 32 मे स्थित भूमि में [illegible] का 1/6 भाग है जिसका मैने किसी के पक्ष में अपना हक त्याग नहीं किया [illegible] ही यह भूमि किसी के हक में त्यागना चाहता हूँ मैं अपने हिस्सा की [illegible] लेना चाहता हूँ। चक 39 एनपी के मु.नं. 39 की भूमि में हमारी माता जीवणी का 1/6 हिस्सा है जिसकी वसीयत हमारी माता जीवणी ने मेरे पुत्र हरीराम के [illegible] में अपने जीवनकाल

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 16:09:37 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

कर दी थी। जो दिनांक 12.02.1993 को की गई थी और तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा उपरोक्त वसीयत प्रमाणित है उक्त भूमि हमारी माता जीवणी की मृत्यु उपरान्त मीराम की हो गई है वादी द्वारा गलत आधार बनाकर गलत वाद पत्र पेश किया है और न ही उसके बंटवारा से हिस्सा में आई है इस कारण वह उपरोक्त विवादित भूमि वादी अकेला अपने नाम करवाने का अधिकारी नहीं है। गलत वाद पेश किया गया है जो खारिज किया जावे। दिनांक 08.08.2009 को सरकार की तरफ से नायब तहसीलदार गजसिंहपुर ने जवाब सरकार पेश कर अंकित किया है कि प्रकरण मे प्रस्तुत वसीयत का सक्षम न्यायालय से प्रबोट जारी करवाया जाना आवश्यक होगा। जो जवाब शामिल मिसल किया गया।

हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित कियेः–

1. आया कि वादी के पिता ठाकरसी वल्द खींवा के नाम वाके चक 39 एनपी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 38 (पुराना), 39(नया) के पं.नं. 214 / 321 के कि. नं. 1 ता 5 सालम, 6 / 1 की 0.164 है. कुल 1.429 है. तथा मु.नं. 32 (नया), 31(पुराना) के कि.नं. 5 में 0.075 है. नहरी भूमि खातेदारी थी। –:वादी
2. आया कि ठकारसी ने अपने जीवन काल में ही प्र.वा.सं.–1 गोरधन को चक 86 जीबी तहसील अनूपगढ़ में तथा प्र.वा.सं.– 2 ता 9 के पति एवं पिता सुरजाराम को चक गोमावाली में भूमि खरीदकर दी तथा उक्त प्रतिवादीगण भी अपने–अपने ग्रामों क्रमशः चक 86 जीबी एवं गोमावाली में ही निवास कर रहे है। –:वादी
3. आया कि वादग्रस्त भूमि चक 39 एनपी घरूबंटवारा में वादी को प्राप्त हुई तथा वादग्रस्त भूमि पर वादी का ही कब्जाकाश्त चला आ रहा है, परन्तु उक्त भूमि ठाकरसी की मृत्यु के बाद सभी वारिसान् के नाम दर्ज हो चुकी है, जिसे दुरूस्त करवाकर वादी उक्त वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। –:वादी
4. आया कि वादी, प्रतिवादीगण के विरूद्व स्वयं के कब्जाकाश्त एवं सिंचाई सुविधा में दखलदाजी बाबत स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। –:वादी
5. आया कि वादग्रस्त भूमि बाबत् प्रस्तुत वसीयत सक्षम न्यायालय से **Probate** जारी करवाया जाना आवश्यक है। इसका वाद पर क्या असर है। –:राजपैरोकार
6. अनुतोषु।

4. वादी आईदान पुत्र श्री ठाकरसी जाति जाट साकिन ठाकरी द्वारा दिनांक 06.01.2014 को शपथ पत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। जिरह के समय वादी जमाबंदी सं. 2061 ता 64 चक 39 एनपी प्रदर्श–1 है जमाबंदी सं. 2025 ता 28 चक 39 एनपी प्रदर्श– 2 है। भू–प्रबन्ध विभाग मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 3 है विभाग मिलान क्षेत्रफल मु.नं. पुराना 38 नया 39 प्रदर्श– 4 है। निर्णय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर का निर्णय 27.01.2004 प्रदर्श–5 है। डिग्री दिनांक 27.01.2004 प्रदर्श–6 है। अखवार दैनिक भास्कर दिनांक 04.07.2009 प्रदर्श– 7 है, पानी की पर्ची चक 39 एनपी 1977 से 1978 से लेकर 2015 से 2017 तक प्रदर्श क्रमशः 8 से 17 है जिनकी फोटों प्रति प्रदर्श 8**A** से 17**A** है, रसीद मालीकर सन 1985 से प्रदर्श–18 से 33 है जिसकी छाया प्रति प्रदर्श– 18**A** से 33**A** है [illegible] 2025 से सं. 2028 चक 1 जीएसएमएन सूरतगढ़ मु.नं. 63–78–79–56–57 [illegible] 62 [illegible] ठाकरसी वल्द खीयां प्रदर्श– 34 है। जो शामिल मिसल [illegible] को दानाराम पुत्र श्री मोटाराम जाति सुथार साकिन ठाकरी ने शपथ पत्र [illegible] किया और ब्यान का अंकन करवाया। दिनांक 16.08.2016 को गोरधन पुत्र ठाकरसी [illegible] जाति जाट साकिन 86 जीबी तहसील अनूपगढ़ ने शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 15:09:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

दुरूस्त करवाकर वादी उक्त वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है।
–:वादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि चक 39 एनपी के घरू बंटवारा के संबंध में कोइ दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससें यह प्रमाणित होता है कि उक्त भूमि घरू बंटवारा में वादी को दी गई है। यद्यपित दानाराम पुत्र मोटाराम जाति सुथार द्वारा अपने साक्ष्य/ब्यानों में यह अवश्य कथन किया है कि चक 39 एनपी के मु.नं. 39 व 32 की लगभग 6 बीघा भूमि पर आईदान ही काश्त करते है। आईदान के भाई/भतीजों को कभी काश्त करते हुए नहीं देखा। गोवर्धन के पास 86 जीबी में जमीन है वह वही रहता है तथा सुरजाराम गोमावाली में निवास करते है। ठाकरी गांव में इनका कोई रिहायसी मकान भी नहीं है लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में साक्ष्य स्वरूप उपलब्ध नहीं है जिससें यह प्रमाणित होता हो कि 39 एनपी की भूमि घरूबंटवारे में आईदान को दी गई हो। तथा गोवर्धन को 86 जीबी में व सुरजाराम को गोमावाली में उसके पिता द्वारा भूमि खरीदकर दी हो। तथा उपयुक्त दोनों का 39 एनपी की भूमि में हिस्सा नहीं रहा है। इस तनकी को प्रमाणित/सिद्ध करने में वादी असफल रहे है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (D) आया कि वादी, प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्वयं के कब्जाकाश्त एवं सिंचाई सुविधा में दखलदाजी बाबत स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।
–:वादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादी उपर्युक्त तनकी सं. 2 व 3 को सिद्ध करने में असल रहे हैं इसलिए स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है यह तनकी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (E) आया कि वादग्रस्त भूमि बाबत् प्रस्तुत वसीयत सक्षम न्यायालय से Probate जारी करवाया जाना आवश्यक है। इसका वाद पर क्या असर है।
–:राजपैरोकार

इस तनकी को सिद्ध करने का भार राजपैरोकार पर था। जीवनी बेबा ठाकरसी द्वारा अपने 1/6 हिस्सा की वसीयत हरीराम पुत्र गोवर्धन के पक्ष में दिनांक 12.02.1993 को निस्पादित की है जिसका सत्यापन तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ द्वारा 12.02.1993 को किया गया है यद्यपि राजपैरोकार द्वारा सक्षम न्यायालय से उक्त वसीयत को **Probate** करवाया जाना आवश्यक बताया है।

तनकी संख्या (E) अनुतोष।
पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 ता 5 वादीगण के विरूद्व निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादी को अनुतोष प्रदान करना विधि संगत नही समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जातीहै।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक मे वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88–89–92ए–183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, का प्रकरण भली–भांति साबित नही होने पर अस्वीकार किया जाता है। ठाकरसी के वारिसान के नाम दर्ज चक 39 एनपी के मु. नं. 39 की 1.429 व मु.नं. 32 की 0.075 है. भूमि कुल 1.504 है. भूमि में से जीवनी बेवा ठाकरसी के 1/6 हिस्सा की भूमि हरीराम पुत्र [illegible] गोवर्धन के 1/6 हिस्सा की भूमि उसके विधिक वारिसान प्रतिवादी [illegible] 1 [illegible] से 1/8 के नाम व सुरजाराम के हिस्से की 1/6 भूमि प्रतिवादी सं. 2 [illegible] तथा वादी आईदान की 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 10 रामप्यारी [illegible] की 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 11 आसी की 1/6 हिस्सा कुल 3/6 [illegible] 1/2 हिस्सा भूमि आईदान के विधिक वारिसान वादीगण सं. 1/1 से 1/5 तक [illegible] नाम दर्ज किये जाने आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिये जाते है। पर्चा डिक्री इस आशय की

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 16:09:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

प्रकरण संख्या 217 / 2006 अनवान
आईदान आदि बनाम गोरधन आदि
निर्णय दिनांक 30.10.2024

जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर / लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्डअधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनुपगढ

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

निर्णय आज दिनांक 30.10 2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र(आर ए एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनुपगढ

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 16:09:37 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner